कार्यालय कलेक्टर, जिला - रीवा (म.प्र.)

क्रमांक 781/नजारत/2018/ **दिनांक 14.09. 2018**

निविदा सूचना

कार्यालय कलेक्टर, रीवा में कैन्टीन संचालन हेतु एजेन्सी/फर्मों से मुहरबन्द निविदा द्विनिविदा प्रणाली (Two Bid System) में आंमत्रित की जाती है। सफल निविदाकार को कैंटीन सेवा (भोजन, चाय, काफी, स्नेक्स, शीतल पेय इत्यादि) चलाने की अनुमति होगी।

निविदा के साथ निविदा प्रपत्र का मूल्य रू. 1000/- कलेक्टर, रीवा के पक्ष में संलग्न करना अनिवार्य है। निविदा पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से अथवा सीधे कार्यालय काउन्टर (अधीक्षक कक्ष, कलेक्टर कार्यालय रीवा) पर **दिनांक 01 अक्टूबर 2018 अपरान्ह 2.00 बजे तक** जमा की जा सकेगी| डाक विलम्ब विभाग की कोई जिम्मेदारी नही होगी। निविदा निर्धारित फार्म पर ही प्रेषित करना अनिवार्य है।

निविदा के साथ निविदा प्रपत्र के मूल्य का बैंक डिमांड ड्राप्ट एवं धरोहर राशि की बैंक डिमांड ड्राप्ट पृथक - पृथक संलग्न करना आवश्यक है। लिफाफे के ऊपर **"कलेक्टर कार्यालय में कैंटीन सञ्चालन हेतु निविदा"** लिखा होना अनिवार्य है। निविदा गठित समिति के द्वारा **दिनांक 01 अक्टूबर 2018** अपरान्ह 4.00 **बजे** खोली जायेगी। इच्छुक निविदादाता निविदा खुलने के समय उपस्थित रह सकते है।

निविदा हेतु निविदा प्रपत्र एवं निविदा की शर्ते आदि कार्यालय कलेक्टर की वेबसाइट **www.rewa.nic.in** में देखें व डाउनलोड किये जा सकते है।

संयुक्त कलेक्टर
(प्रभारी अधिकारी नजारत)
कार्यालय कलेक्टर
रीवा (म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर, जिला - रीवा (म.प्र.)

क्रमांक / /नजारत/2018/ **दिनांक .09. 2018**

निविदा सूचना

कार्यालय कलेक्टर, रीवा में कैन्टीन संचालन हेतु एजेन्सी/फर्मों से मुहरबन्द निविदा द्विनिविदा प्रणाली (Two Bid System) में आंमत्रित की जाती है। सफल निविदाकार को कैंटीन सेवा (भोजन, चाय, काफी, स्नेक्स, शीतल पेय इत्यादि) चलाने की अनुमति होगी।

निविदा पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से अथवा सीधे कार्यालय काउन्टर (अधीक्षक कक्ष, कलेक्टर कार्यालय रीवा) पर **दिनांक 01 अक्टूबर 2018 अपरान्ह 2.00 बजे तक** जमा की जा सकेगी। डाक विलम्ब विभाग की कोई जिम्मेदारी नही होगी। निविदा निर्धारित फार्म पर ही प्रेषित करना अनिवार्य है।

निविदा के साथ निविदा प्रपत्र के मूल्य का बैंक डिमांड ड्राप्ट एवं धरोहर राशि की बैंक डिमांड ड्राप्ट पृथक - पृथक संलग्न करना आवश्यक है। लिफाफे के ऊपर **''कलेक्टर कार्यालय में कैंटीन सञ्चालन हेतु निविदा''** लिखा होना अनिवार्य है। निविदा गठित समिति के द्वारा **दिनांक 01 अक्टूबर 2018 अपरान्ह 4.00 बजे** खोली जायेगी। इच्छुक निविदादाता निविदा खुलने के समय उपस्थित रह सकते है।

निविदा हेतु निविदा प्रपत्र कार्यालय कलेक्टर की वेबसाइट **www.rewa.nic.in** में देखें व डाउनलोड किये जा सकते है।

निविदा की शर्तें निम्नानुसार है :-

1. निविदा के साथ निविदा प्रपत्र का मूल्य रू. 1000/- कलेक्टर, रीवा के पक्ष में संलग्न करना अनिवार्य है। निविदा प्रपत्र की धनराशि (Non-refundable) होगी।
2. निविदा प्रपत्र के साथ रू. 10,000/- (रू. दस हजार मात्र) धरोहर राशि के रूप में जमा करना अनिवार्य है। बिना धरोहर राशि के निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। धरोहर राशि की DD जिसका ब्याज सफल निविदा कर्ता को वापस नहीं होगा कलेक्टर, रीवा के पक्ष में बन्धक (Pledged) होनी चाहिये।
3. फर्म/एजेन्सी निविदा दाता द्वारा तकनीकी निविदा/वित्तीय निविदा को अलग-अलग लिफाफो में मोहरबन्द कर दोनों लिफाफों के ऊपर सम्यक रूप से तकनीकी निविदा अथवा वित्तीय निविदा एक बड़े लिफाफे में भरकर कार्यालय कलेक्टर (अधीक्षक कक्ष, कलेक्टर कार्यालय रीवा) को प्रस्तुत करना होगा।
4. केवल उन्हीं निविदा दाताओं का वित्तीय निविदा का लिफाफा खोला जायेगा जिन्होंने तकनीकी निविदा में सफलता प्राप्त की है तथा तकनीकी निविदा में साफल न होने पर वित्तीय निविदाओं के लिफाफे नहीं खोले जायेंगे |
5. वित्तीय निविदा पर प्रस्तावित राशि (Offer Price) निर्धारित न्यूनतम राशि (Minimum Rate) रूपये 82,800/- से कम होने पर निविदा आवंटित नहीं की जावेगी ।
6. वित्तीय प्रपत्र में निविदा कर्त्ता द्वारा कैंटीन सञ्चालन के एवज में कितनी राशि प्रतिमाह (Offer Price) कलेक्टर कार्यालय को भुगतान करेगा का स्पष्ट जिक्र करना होगा|

7. निविदा कर्ता के चयन का आधार तकनीकी निविदा प्रस्तावों में सफलतम समस्त निविदाकर्ताओं के वित्तीय प्रस्तावों के तुलनात्मक विवरण तैयार करने के उपरांत जिस निविदाकर्ता की प्रस्तावित राशि अधिकतम होगी उसे सफल माना जायेगा |

8. कैन्टीन चलाने का कार्य 5 वर्षों के लिए दिया जायेगा, लेंकिन कार्य की समीक्षा प्रतिवर्ष की जावेगी तथा कार्य उत्तम होने पर ही आगामी वर्ष के लिए नवीनीकृत किया जावेगा।

9. किसी भी निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार कलेक्टर रीवा को होगा।

10. टेण्डर स्वीकृत करने हेतु यदि किसी भी प्रकार का प्रभाव फर्म द्वारा डाला जाता है तो उसे निविदा हेतु अयोग्य माना जायेगा।

11. किसी विवाद की स्थिति में कलेक्टर रीवा का निर्णय अंतिम होगा।

12. जिस पंजीकृत एजेन्सी/फर्म की निविदा स्वीकृत होगी, उसके द्वारा कार्य आदेश के तुरन्त 15 दिवश के अन्दर कार्य प्रारंभ कर दिया जायेगा। ऐसा न करने की स्थिति में जमानती धनराशि जब्त करते हुए संबंधित पंजीकृत एजेन्सी/फर्म को ब्लैक लिस्टेड भी घोषित किया जा सकता है। जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित पंजीकृत एजेन्सी/फर्म का होगा।

13. ठेकेदार के कर्मियों द्वारा कलेक्टर परिसर में धुरमपान अथवा मादक द्रब्यों का सेवन करना वर्जित होगा।

14. सफल निविदाकार को सरकार द्वारा लागू समस्त करों का वहन स्वंय करना होगा ।

15. कैन्टीन सञ्चालन के लिए कलेक्ट्रेट परिसर के उत्तर-पश्चिम कोने में नियत किये गए स्थल पर केवल स्थान 60ft x 50ft का स्थान उपलब्ध कराया जावेगा । उस स्थान पर अस्थाई संरचना का निर्माण निविदाकार द्वारा स्वयं के व्यय पर किया जावेगा ।

16. कैंटीन संचालन में लगने वाले समस्त संसाधनों की व्यवस्था जैसे फर्नीचर, बर्तन, गैस, चूल्हा आदि निविदाकार द्वारा स्वतः के व्यय की जावेगी|

17. सफल निविदाकार द्वारा कैंटीन संचालन के लिए पृथक से विद्युत कनेक्शन/ पेयजल कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा।

18. सफल निविदाकार द्वारा कैन्टीन परिसर एवं परिसर के बाहर 20ft. के परिधि में साफ –सफाई की व्यवस्था स्वयं करना होगा। निविदाकार को अवशिष्ट प्रबंधन नियमानुसार स्वयं करना होगा|

19. सफल निविदाकार को कैंटीन सञ्चालन में स्वास्थ्य के सभी मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा|

20. फर्म/ठेकेदार का दायित्व होगा कि वह कैंटीन संचालन में कार्य करने वाले श्रमिकों का भुगतान माह समाप्त होने के सात दिन के भीतर करना सुनिश्चित करेगा। मजदूरी भुगतान के संबंध में कार्यालय कलेक्टर की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

21. फर्म/ठेकेदार/श्रमिकों के बीच में कोई विवाद/दुर्घटना होती है या कार्य के दौरान किसी दुर्घटना के लिये दायित्व कार्यालय कलेक्टर का नहीं होगा |

22. कार्य सन्तोषजनक न पाये जाने पर कार्यालय कलेक्टर को यह अधिकार होगा कि वह 10 दिन की पूर्व सूचना पर करार को निरस्त कर दें। इसमें किसी प्रकार की छतिपूर्ति /दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

23. निविदा अवधि समाप्त होने अथवा अवधि के पूर्व कलेक्टर द्वारा अनुबंध समाप्त करने की स्थिति में निविदाकार द्वारा बनाये गये अस्थाई संरचना एवं संसाधनों 5 दिवस के अंदर हटाना अनिवार्य होगा इस पर होने वाले व्यय का वहन निविदाकार द्वारा स्वयं किया जावेगा ।

24. ठेकेदार द्वारा जो भी कर्मी कार्यालय परिसर में तैनात किये जायेंगे उनका पुलिस सत्यापन करने का पूर्ण उत्तरदायित्व स्वीकृत ठेकेदार का होगा। जिन कर्मियों का पुलिस सत्यापन किया जा चुका है, उन्हीं को ही कार्यालय कलेक्टर में नियुक्त किया जाये तथा सत्यापन की एक प्रति भी कार्यालय कलेक्टर के रिकार्ड्स हेतु 3 दिवश के भीतर उपलब्ध करायें।

25. शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों का पालन करना बाध्यकारी होगा।

26. निविदाकार द्वारा कार्यालय परिसर में तैनात किये गये कर्मियों के द्वारा यदि कार्यालय में किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के साथ अभद्रता की जाती है तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व स्वीकृत ठेकेदार का होगा।

27. निविदा स्वीकृत होने पर स्वीकृत पंजीकृत एजेन्सी/फर्म को कार्यालय कलेक्टर के साथ म.प्र. शासन द्वारा निर्धारित स्टाम्प ड्यूटी के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध पत्र भरना अनिवार्य होगा। यह अनुबंध म.प्र. शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अधीन होगा।

28. निविदाकार अपने कुक सहित सभी कर्मचारियों को उचित वर्दी प्रदान करेगा|

29. निविदाकार को खाद्य सुरक्षा मानकों, श्रम प्रवाधानों के साथ शासन के समस्त प्रावधानों को सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा|

30. निविदाकार कैंटीन सञ्चालन कार्य शुरू होने के पूर्व न्यूनतम 2.5 किग्रा की CO2 अग्निशामक (ऐसी न्यूनतम संख्या में जो कि कैंटीन सञ्चालन परिसर के क्षेत्र के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा तय किया जावे) स्थापित करना होगा।

31. कैंटीन परिसर में लकड़ी के विभाजन (Wooden Partition) / ज्वलनशील सामग्रियों के उपयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी। दुकान / कार्यालय परिसर के विभाजन / निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री का अनुमोदन कलेक्टर द्वारा अधिकृत व्यक्ति से कराना अनिवार्य होगा|

32. कैंटीन में केवल शाकाहारी उत्पादों का उपयोग, उपभोग एवं बिक्री की जा सकेगी|

33. कैंटीन के प्रमुख स्थान पर समस्त सामग्रियों की दर सूची प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा|

34. निविदाकार द्वारा कैन्टीन अधोसरंचना निर्माण के दौरान या संचालन के दौरान कलेक्ट्रेट परिसर के किसी भी स्थाई / अस्थाई संरचना को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुचाया जायेगा ।

निविदा के साथ तकनीकी प्रस्ताव में निविदाकार के द्वारा निम्नानुसार प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा :-

1. रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति (कान्ट्रेक्ट लेबर एक्ट 1970 के अन्तर्गत)
2. पिछले तीन वित्तीय वर्षों का टर्न ओवर संलग्न किया जाय| CA द्वारा सत्यापित।
3. निविदाकार के पास कैंटीन / होटल चलाने के लिए कम से कम 3 वर्ष का अनुभव ।

4. निविदाकार के पास सभी नवीनतम खाद्य लाइसेंस / प्रमाण पत्र / कैंटीन / खाद्य पदार्थों की आपूर्ति आदि के प्रमाणपत्रों की प्रतियां संलग्न होने के लिए|
5. सेवा कर (GST) पंजीकरण (प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करने के लिए)।
6. EPFO/ ESCI पंजीकरण।
7. पैन संख्या (प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न होना)।
8. अन्य शर्ते जो कार्यालय कलेक्टर द्वारा निर्धारित की जायेगी, जो सभी को मान्य होगी।

संयुक्त कलेक्टर
(प्रभारी अधिकारी नजारत)
कार्यालय कलेक्टर
रीवा (म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर, जिला - रीवा (म.प्र.)

तकनीकी – प्रस्ताव

कलेक्टर कार्यालय में कैंटीन सञ्चालन हेतु निविदा हेतु निविदा :-

1. एजेन्सी/फर्म की पंजीकृत संख्या-
   (अ) कॉन्ट्रेक्ट लेबर एक्ट 1970.. (प्रमाण पत्र संलग्न किया जाय)

   (ब) सेवा कर (GST) पंजीकरण संख्या .... (प्रमाण पत्र संलग्न किया जाय)

2. PAN संख्या.. (छाया प्रतिया भी संलग्न की जाय)
3. EPFO/ ESCI पंजीकरण संख्या..
4. CA द्वारा सत्यापित/प्रमाणित किया हुआ पिछले तीन वित्तीय वर्षों का टर्न ओवर संलग्न किया जाय।
5. पिछले तीन वित्तीय वर्षो का कैंटीन / होटल चलाने अनुभव प्रमाण पत्र|
6. निविदाकार के पास सभी नवीनतम खाद्य लाइसेंस / प्रमाण पत्र / कैंटीन / खाद्य पदार्थों की आपूर्ति आदि के प्रमाणपत्रों की प्रतियां संलग्न करें|
7. निविदा प्रपत्र का मूल्य
   बैंक ड्राफ्ट नं0 ....
   दिनांक ....
   बैंक एवं बैंक शाखा का नाम ....
   धनराशि रू. 1000/- (एक हजार) कलेक्टर रीवा के पक्ष में

8. धरोहर धनराशि की बैंक डिमांड ड्राफ्ट संख्या ....
   दिनांक ....
   बैंक एवं बैंक शाखा का नाम ....
   धनराशि रू. 10000/- (दस हजार) कलेक्टर रीवा के नाम
   (बैंक डिमांड ड्राफ्ट मूलरूप में संलग्न की जाय)

कार्यालय कलेक्टर, रीवा के दिनांक .... सितम्बर 2018 हेतु निर्गत निविदा में उल्लिखित समस्त शर्तों को भली-भाँति पढ़ लिया गया है, जो मुझे प्रत्येक दशा में मान्य है।

स्थान :-

दिनांक ....

एजेन्सी/फर्म प्रतिनिधि के हस्ताक्षर ....

एजेन्सी/फर्म प्रतिनिधि का नाम ....

फर्म का नाम ....

पूरा स्थायी पता ....

फोन नं0 कार्यालय ....

मोबाइल फोन नं0..

कार्यालय कलेक्टर, जिला - रीवा (म.प्र.)

वित्तीय प्रस्ताव

कलेक्टर कार्यालय में कैंटीन सञ्चालन हेतु निविदा हेतु निविदा :-

कलेक्टर कार्यालय में कैंटीन सञ्चालन के एवज में हमारे द्वारा कलेक्टर कार्यालय रीवा को निम्नानुसार प्रस्ताव राशि (Offer Price) का भुगतान प्रतिमाह किया जावेगा-

प्रस्ताव राशि (अंकों) रु..

(शब्दों में)

रुपये...

....

कार्यालय कलेक्टर रीवा के दिनांक .... सितम्बर 2018 हेतु निर्गत निविदा में उल्लेखित समस्त शर्तों को भली-भाँति पढ़ लिया गया है, जो मुझे प्रत्येक दशा में मान्य है।

स्थान :-

दिनांक ....

एजेन्सी/फर्म प्रतिनिधि के हस्ताक्षर ....

एजेन्सी/फर्म प्रतिनिधि का नाम ....

फर्म का नाम ....

पूरा स्थायी पता ....

फोन नं0 कार्यालय ....

मोबाइल फोन नं0...